**झारखंड उच्च न्यायालय, राँची**

**आपराधिक विविध याचिका सं. 3854 / 2023**

जगदीश रवानी, उम्र लगभग 46 वर्ष, पिता - मोहन रवानी, निवासी गांव - करमाटांड डाकघर - दामोदरपुर, थाना - बलियापुर, जिला - धनबाद ..... याचिकाकर्ता

*बनाम*

झारखंड राज्य ..... उत्तरदाता

---

याचिकाकर्ता के लिए : श्री लुकेश कुमार, एडवोकेट।

राज्य के लिए : श्री सुबोध कुमार दुबे, अतिरिक्त पीपी

---

**<u>उपस्थित</u>**

**माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी**

***अदालत द्वारा:-*** दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 452, 427, 341, 323, 307, 379 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज सिंदरी वाद सं.92/2022 और प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि 25.08.2022 को सिंदरी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर-कम-ऑफिसर-इन-चार्ज को सूचना मिली कि

मामले के आरोपी व्यक्तियों द्वारा घातक हथियारों से लैस होकर गैरकानूनी जमावड़ा बनाया गया है। प्रभारी अधिकारी ने पुलिस कर्मियों के साथ दोपहर करीब 1:30 बजे लाखी सिंह की हत्या और लखी सिंह की सुरक्षा कर रहे पुलिस कर्मियों को मारने के लिए निकले गैरकानूनी जमावड़े के सदस्यों को रोका। गैरकानूनी जमावड़े के सदस्य लखी सिंह से संबंधित जनता मजदूर संघ के कार्यालय के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ की। पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किए जाने पर, गैरकानूनी सभा के सदस्यों ने ईंट का सहारा लिया और पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने पुलिस दल पर आग्नेयास्त्रों से गोलियां भी चलाईं और लखी सिंह के घर के सामने खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। गैरकानूनी जमावड़े के सदस्यों ने सहायक पुलिस उपनिरीक्षक अशोक कुमार सिंह के साथ मारपीट की और मुखबिर को भी धक्का दिया जिससे वह घायल हो गया और उन्होंने पुलिस उपनिरीक्षक अभय कुमार के साथ भी मारपीट की और याचिकाकर्ता भी उक्त गैरकानूनी सभा का सदस्य था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि स्व-घटना के लिए, पुलिस ने सबसे पहले बलियापुर वाद सं. 143/2022 दर्ज किया और बाद में सिंदरी वाद सं. 92 /2022 स्थापित किया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सिंदरी वाद सं. 92/2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से प्रभावित है। अपने मामले के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **अमितभाई अनिलचंद्र शाह बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य (2013) 6 एससीसी 348,** पैरा 38 और 39 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें से निम्नानुसार है: -

*"38. XXXXXXXXXX तथ्य की बात के रूप में, कानून के पूर्वोक्त प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अस्वीकार्य और उल्लंघन*

*करने वाला कानून बनाया गया है, इस न्यायालय के निम्नलिखित बाद के निर्णयों में दोहराया और पुन: पुष्टि की गई है: (1) उपकार सिंह बनाम वेद प्रकाश [(2004) 13 एससीसी 292: 2005 एससीसी (आपराधिक) 211], (2) बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य [(2010) 12 एससीसी 254: (2011) 1 एससीसी (आपराधिक) 336], (3) चिर्रा शिवराज बनाम गुजरात राज्य [(2010) 12 एससीसी 254: (2011) 1 एससीसी (आपराधिक) 336], (3) चिर्रा शिवराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [(2010) 12 एससीसी [(2010) 14 एससीसी 444: (2011) 3 एससीसी (आपराधिक) 757: एआईआर 2011 एससी 604], और (4) सी. मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य [(2010) 9 एससीसी 567: (2010) 3 एससीसी (आपराधिक) 1402] सी. मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य [(2010) 9 एससीसी 567: (2010) 3 एससीसी (आपराधिक) 1402] में इस न्यायालय ने "परिणाम परीक्षण" की व्याख्या की, अर्थात यदि दूसरी प्राथमिकी का हिस्सा बनने वाला अपराध पहली प्राथमिकी में कथित अपराध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है तो दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट द्वारा ढके गए अपराध समान हैं और, तदनुसार, दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कानून में स्वीकार्य नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल अपराधों को पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए।*

*39. इस मामले में, उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से, सी. मुनियप्पन [(2010) 9 एससीसी 567: (2010) 3 एससीसी (आपराधिक) 1402] के साथ-साथ चिर्रा शिवराज [(2010) 14 एससीसी 444: (2011) 3 एससीसी (आपराधिक) 757: एआईआर 2011 एससी 604] , पूरी ताकत के साथ लागू होते हैं क्योंकि सीबीआई के अनुसार यह मामला है जहां: 39.1. यह बड़ी साजिश नवंबर 2005 में शुरू हुई और दिसंबर 2006 में तुलसीराम प्रजापति की फर्जी मुठभेड़ में समाप्त हुई।*

*39.2. तुलसीराम प्रजापति का कथित फर्जी एनकाउंटर सोहराबुद्दीन और कौसरबी की पहले की झूठी मुठभेड़ का परिणाम था क्योंकि*

*तुलसीराम प्रजापति सोहराबुद्दीन और कौसरबी के अपहरण और परिणामी हत्याओं का चश्मदीद गवाह था।*

*39.3. तुलसीराम प्रजापति को कथित तौर पर उसी साजिश के तहत आरोपी पुलिस अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया था, जब तक कि वह कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ में नहीं मारा गया था।"*

इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील भी **बाबूभाई बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य [(2010) 12 एससीसी 254**: के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हैं जिसका अनुच्छेद सं.21 इस प्रकार है;-

*"21. ऐसे मामले में अदालत को दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट को जन्म देने वाले तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करनी होगी और समानता का परीक्षण यह पता लगाने के लिए लागू किया जाना है कि क्या दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ही घटना के संबंध में एक ही घटना से संबंधित हैं या उन घटनाओं के संबंध में हैं जो एक ही लेनदेन के दो या अधिक हिस्से हैं। यदि उत्तर हां में है तो दूसरी प्राथमिकी रद्द की जा सकती है। हालांकि, अगर दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट में बयान अलग है और वे दो अलग-अलग घटनाओं/अपराधों के संबंध में हैं, तो दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट की अनुमति है। यदि एक ही घटना के संबंध में पहली प्राथमिकी में आरोपी एक अलग संस्करण या प्रतिदावे के साथ आगे आता है, तो दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट पर जांच की जानी चाहिए।"*

5. इसके बाद याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि यदि "परिणाम परीक्षण", अर्थात, यदि दूसरी प्राथमिकी का हिस्सा बनने वाला अपराध पहली प्राथमिकी में कथित अपराध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है; यदि इस मामले के तथ्यों पर लागू किया जाता है, तो दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट द्वारा ढंके गए अपराध इस मामले में भी समान हैं। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट को दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जा सकता है क्योंकि यह याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कृत्यों से उत्पन्न हुआ है, जो सिंदरी वाद सं.92/2022 का आरोपी व्यक्ति था,

पहली प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित अपराध के परिणामस्वरूप बलियापुर वाद सं.143/2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट है, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूरी आपराधिक कार्यवाही साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सिंदरी वाद सं. 92/2022 को रद्द किया जाए और अलग रखा जाए।

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर लोक अभियोजक पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध करते हैं और साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सिंदरी वाद सं. 92 /2022 और **दीपू महतो @ दीपू महतो @ दीपक कुमार महतो** के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हैं, आपराधिक विविध याचिका संख्या 1480/2023 दिनांक 31.10.2023 में पारित किया गया और प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय ने पहले ही दीपू महतो @ दीपू महतो की स्व-प्रार्थना को खारिज कर दिया है और चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप सह-अभियुक्त, दीपू महतो @ दीपू महतो के समान ही हैं। विद्वान अपर लोक अभियोजक आगे प्रस्तुत करते हैं कि घटना का स्थान, घटना का समय, पुलिस स्टेशन जिसके तहत घटनाएं हुईं, वे पूरी तरह से अलग हैं और आरोप भी अलग-अलग हैं, इसलिए दोनों घटनाओं को एक ही लेनदेन का नहीं माना जा सकता है, इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि, यह आपराधिक विविध याचिका खारिज करने योग्य है।

7. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में सामग्री को देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि बलियापुर वाद सं. 143/2022 एक घटना के संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 342, 353, 504 और 506 में दर्ज किया गया है, जो 25.08.2022 को सुबह 11:45 बजे हुई थी, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता और सह-आरोपी व्यक्ति एक गैरकानूनी सभा के सदस्य थे और घातक हथियारों से लैस होने के कारण, विधानसभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में, गैरकानूनी सभा के सदस्यों ने बलियापुर पुलिस स्टेशन के गश्ती दल के साथ दुर्व्यवहार किया और उनके साथ हाथापाई की और उन्हें आपराधिक बल का उपयोग करके अपने कर्तव्यों

का निर्वहन करने से भी रोका और सहायक उपनिरीक्षक होने के नाते बलियापुर पुलिस स्टेशन के मुखबिर पुलिस की वर्दी फाड़ दी।

8. इस न्यायालय का विचार है कि सिंदरी वाद सं. 92/2022 की घटना का स्थान सिंदरी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के भीतर है जिसमें एक श्रमिक संघ के कार्यालय के आस-पास के क्षेत्रों में तोड़फोड़ की गई थी और सिंदरी पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी जो अपराध के बारे में सूचना मिलने पर मौके पर गए थे, उनके साथ मारपीट की गई और उनकी हत्या का प्रयास किया गया, उन पर आग्नेयास्त्रों से गोलीबारी करके बनाया गया था, जबकि जिसके संबंध में बलियापुर वाद सं. 143/2022 दर्ज किया गया है, वह बलियापुर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से अलग है, जहां बलियापुर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल किया गया था। निस्संदेह, **2010 9 एससीसी 567** में रिपोर्ट किए गए **सी मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के सिद्धांत के अनुसार, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "परिणाम परीक्षण" लागू किया लेकिन इस मामले के तथ्यों पर "परिणाम परीक्षण" परीक्षण लागू करने के बाद भी, इस अदालत ने पाया कि घटना का स्थान और घटना का समय और घटनाओं का वर्णन पूरी तरह से अलग है; इसलिए कल्पना के किसी भी खिंचाव से, यह नहीं कहा जा सकता है कि बलियापुर पुलिस स्टेशन के लोक सेवक, पुलिस कर्मियों के खिलाफ आपराधिक बल का उपयोग करना, याचिकाकर्ता और अन्य व्यक्तियों का परिणाम है, जो सिंदरी वाद सं. 92 /2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित अपराध कर रहे हैं, जो सिंदरी पुलिस स्टेशन और इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित श्रमिक संघ के कार्यालय में हुआ था, पहले से ही, इस प्रकार आयोजित किया गया है; सह-अभियुक्त दीपू महतो @ दीपू महतो @ दीपक कुमार महतो (सुप्रा) द्वारा की गई स्व-प्रार्थना के संबंध में पारित निर्णय में। इसलिए, इस न्यायालय की सुविचारित राय में, चूंकि घटना का स्थान, घटना

का समय और दोनों घटनाओं के घटित होने का तरीका पूरी तरह से अलग है, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां सिंदरी वाद सं. 92/2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट मे भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341,323, 307, 353, 332, 333, 337, 393, 448, 427, 506, 120ख और आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत मामला रद्द किया जाए और अलग किया जाए।

9. तदनुसार, यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज की जाती है।

**(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)**

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
8 जनवरी, 2024 को दिनांकित किया
स्मिता/ए. एफ. आर.

**यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया**।